

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-3/1680/एक-1-2016-20(8)/2016

लखनऊ: दिनांक: 10 फरवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ को उनके मुद्रण से सम्बन्धित निम्नलिखित बीजक की कुल धनराशि रू0 4,884/- (रूपये चार हजार आठ सौ चौरासी मात्र) की धनराशि का भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	बीजक संख्या	दिनांक	कार्य का विवरण	मुद्रित प्रतियाँ	धनराशि (रूपये में)
1.	702/16	09.08.2016	ए0पी0-221 आर0पी0एच0, दिनांक 01.06.2016 की अतिरिक्त प्रतियों का मुद्रण	1000	3498-00
2.	703/16	10.08.2016	ए0पी0-120 आर0पी0एच0, दिनांक 01.06.2016 की अतिरिक्त प्रतियों का मुद्रण	1000	1386-00
				कुल योग	4884-00

(रूपये चार हजार आठ सौ चौरासी मात्र)

2. उक्त धनराशि का भुगतान संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को लेखाशीर्षक "0058-लेखन सामग्री और मुद्रण-200-मुद्रणालय सम्बन्धी अन्य प्राप्तियों-03 दूसरे सरकारी विभागों के लिये किया गया मुद्रण कार्य" के अन्तर्गत बैंक ड्राफ्ट/चेक/चालान द्वारा किया जायेगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-78 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2052-सचिवालय-सामान्य सेवार्ये-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03 सचिवालय-11 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई के मद के नाम डाला जायेगा।

(अरविन्द कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या-1680(1)/एक-1-2016-20(8)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (प्रथम खण्ड/लेखा व्यय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अनुभाग अधिकारी, राजस्व (लेखा कोष्ठक) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश सचिवालय को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय व्यय) अनुभाग-2/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
7. सचिवालय प्रशासन विभाग (बजट सेल)।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)

उप सचिव।